रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 548] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1984/कार्तिक 23, 1906
No. 548] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 14, 1984/KARTIKA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1984

का. आ. 836(अ).—केन्द्रीय सरकार, डालमिया दादरी सीमेंट लि. (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 (1981 का 31) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डालमिया दादरी सीमेंट लि. (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) निधि प्रशासन नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डालमिया दादरी सीमेंट लि. (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) निधि प्रशासन (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डालमिया दादरी सीमेंट लि. (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) निधि प्रशासन नियम, 1983 के खण्ड 3 में, "समुचित प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंधित सरकारी कम्पनी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 20(1)/83-सी.इ.एम.]

ब्रिजेन्द्र सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1984

S.O. No. 836(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1981 (31 of 1981), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Administration of Funds Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Administration of Funds (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Administration of Funds Rules, 1983, in clause 3, for the words "appropriate authority", the words "Central Government or the concerned Government Company as the case may be" shall be substituted.

[File No. 20(1)|83-Cem.]

BRIJENDRA SAHAY, Jt. Secy.